सं०सं०–5 / विविध–20–28 / 12

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

64(5)

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय उप–निदेशक,
सभी सिविल सर्जन, बिहार।

पटना, दिनांक– 17/1/2013

विषय :– **नियुक्ति / प्रोन्नति / नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार नही करने के संबंध में।**

महाशय,

समान्य प्रशासन विभाग, बिहार से प्राप्त पत्रांक–11 / आ0वि0–1–01 / 2012 सा0–16144 दि0–28.12.2012 की छाया–प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इस पत्र को अपने अधिनस्थ कार्यालयों में प्रचारित कराने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

17/1/13

(मनोज कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

17/1/2013

पत्रांक- 11 / आ0नी0--I-01 / 2012सा0-1644

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

नवीन चन्द्र झा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
निबंधक, सभी विश्वविद्यालय,
सभी जिला पदाधिकारी,
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग,
सचिव, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद,
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग,
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना ।

पटना—15, दिनांक - 28 नवम्बर, 2012

विषय :— नियुक्ति / प्रोन्नति / नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार नहीं करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार की विभिन्न नियुक्तियों हेतु आयोग द्वारा विज्ञापन के प्रकाशन एवं आवेदन प्राप्ति के बाद राज्य सरकार द्वारा कतिपय जातियों की आरक्षण कोटि में परिवर्तन किये जाने की स्थिति में आवेदक के आरक्षण कोटि में तदनुसार सुधार करने के बिन्दु पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस विभाग से याचित मन्तव्य के प्रसंग में विधि विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया ।

अतः विधि विभाग से प्राप्त विधिक परामर्श के आलोक में संसूचित किया जाता है कि किसी भी नियुक्ति / प्रोन्नति / नामांकन की निर्धारित प्रक्रिया को शुरू करने के बाद पूर्व से लागू किसी नियम / नियमावली में जबतक कोई संशोधन किसी भूतापेक्षी तिथि से लागू नहीं हो, तब तक जारी नियुक्ति / प्रोन्नति / नामांकन की प्रक्रिया के बीच में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है ।

एतद्संबंधी पूर्व निर्गत आदेश (यदि कोई हो), के असंगत अंश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे ।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों को इस आदेश की प्रति परिचालित करने की कृपा की जाए ।

31 DEC 2012

विश्वासभाजन,

(नवीन चन्द्र झा)
सरकार के संयुक्त सचिव ।